



11/2/23

वरील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर महावली आर्य
 राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी
 द्वारा महावली प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में उद्धृत
 विवरण कि दिनांक 12/3/22 की कार्योक्ति
 राष्ट्रीय लोक अदालत में पारित निर्णय से
 अहम से खाता सं० 17 को अंश नहीं हो पाया
 है। अतः में उद्योग विषय में कर विवरण
 विवरण महावली के आद्योपत्य इत्यादि
 विवरण प्रार्थना पत्र 152 CPC स्वीकार किया
 अथवा अतः अतः दिनांक 12/3/22 में खाता
 सं० 210, 211, 212 के साथ खाता सं० 17
 पदा नम। वरानुसार (निर्णय वरिष्ठ दिनांक
 12/3/22 में अंश है।


 न्यायिक अधिकारी
 सदस्य
 राष्ट्रीय लोक अदालत
 अलवर (राज०)


 सदस्य
 राष्ट्रीय लोक अदालत
 अलवर (राज०)